न्यायालयः–विशिष्ठ न्यायाधीश अ.जा./ज.जा.(अ.नि.प्र.) बारां, जिला–बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– **लोकेश कुमार शर्मा,** (RJS–DJ CADRE)

निर्णय दिनांकः– 12.03.2026

सेशन प्रकरण संख्याः– 46/2019

सी.आई.एस. नंबरः– 47/2019

सी.एन.आर. नंबरः– RJBR050000852019

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्याः– 645/2018, **पुलिस थानाः–**कोतवाली बारां, जिला–बारां

अपराध अंतर्गत धाराः– 341, 323, 504 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(2)(va) अनुसूचित जाति/जनजाति(अ.नि.) अधिनियम 1989

PART–I

A

परिवादी	राज्य सरकार
प्रतिनिधित्व द्वारा	विशिष्ठ लोक अभियोजक
अभियुक्त/अभियुक्तगण	वजीर सिंह पुत्र धर्मसिंह, उम्र–32 साल (वर्तमान उम्र–39 साल), निवासी–गढ़ी सिसाना खरखोदा, जिला–सोनीपत, हरियाणा हाल कानि. 803 पुलिस लाईन झालावाड़, जिला–झालावाड़ (राज.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	विद्वान अधिवक्ता– श्री मनोज कुमार जैन

B

अपराध की दिनांक	20.08.2018
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	20.08.2018
आरोप पत्र की दिनांक	28.05.2019
आरोपों की विरचना की दिनांक	11.01.2022
साक्ष्य प्रारंभ करने की दिनांक	11.01.2022
निर्णय सुरक्षित किये जाने की दिनांक	12.03.2026
निर्णय की दिनांक	12.03.2026
दण्डादेश, यदि कोई हो, की दिनांक	निल

C– अभियुक्त/अभियुक्तगण का विवरणः–

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमनात पर रिहा होने की तिथि	अपराध अंतर्गत धारा	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 दं.प्र.सं. के तहत अभिरक्षा में व्यतीत की गयी अवधि
01	वजीर सिंह	निल	निल	341, 323, 504, भा.दं.सं. व 3(2)(va) Sc/St act	दोषमुक्त	निल	निल

PART–II

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्ष्य की सूचीः–

A. अभियोजन साक्ष्यः–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
P. W. 01	राधेश्याम मीणा	परिवादी/आहत साक्षी
P. W.02	सीमा मालव	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
P. W.03	दिनेश कुमार मीणा	अनुसंधान अधिकारी
P. W.04	विरेन्द्र सिंह	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
P. W.05	सुरेश कुमार	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
P. W.06	घनश्याम	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी

B. प्रतिरक्षा साक्ष्य, यदि कोई हो तो–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
–	–	–

C. न्यायालय साक्ष्य, यदि कोई हो तोः–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)

–	–	–

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय प्रदर्श की सूचीः–

A. अभियोजन प्रदर्श–

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
01	प्रदर्श पी.01/PW.01	तहरीरी रिपोर्ट
02	प्रदर्श पी.02/PW.01	चाक एफ.आई.आर.
03	प्रदर्श पी.03/PW.01	नक्शा मौका
04	प्रदर्श पी.04/PW.01	जाति प्रमाण पत्र
05	प्रदर्श पी.05 व पी.06/PW.03	परिवादी का नियुक्त व पदस्थापन आदेश

B. प्रतिरक्षा प्रदर्श–

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
–	–	–

C. न्यायालय प्रदर्श–

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
–	–	–

D. वस्तु प्रदर्श–

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
निल	निल	निल

PART–III

1– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 20.08.2018 को परिवादी राधेश्याम मीणा ने थाना कोतवाली बारां पर उपस्थित होकर एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 20.08.2018 को समय 02 बजे करीब की बात है। उसकी कन्ट्रोल रूम डी.ओ. व श्री घनश्याम हैड कानिस्टेबल की तहरीर ड्यूटी व वायरलैस ड्यूटी सीमा मालव महिला कानिस्टेबल की थी। सभी कन्ट्रोल रूम पर अपनी ड्यूटी कर रहे थे, उसी समय वजीर कानि. 803 आया व उसे बुला कर अभय कमाण्ड सेन्टर के मीटिंग हॉल के गेट पर ले गया। वहां जाते ही उसे वजीर ने कहा कि मादरचोद मिन्टे तेरे भाव बहुत ज्यादा बढ़

गये हैं। तू अभय कमाण्ड सेन्टर में आने के लिए मेरे लिए मना करने वाला कौन होता है। इस पर उसने कहा कि मैं क्यूं मना करूंगा। इस पर उसने कहा कि आपने ही सुरेश जी हैड कानि. अभय कमाण्ड सेन्टर की मौजूदगी में कहा था कि ए.एस.आई. को कभी अभय कमाण्ड के अंदर मेरे परमिशन के बिना मत आने देना। इस पर उसने कहा कि या तो आप आदेश निकलवा दो। हम भी अभय कमाण्ड सेन्टर से जुड़े हुए हैं। किसी प्रकार की कोई सूचना के संबंध में हम तो आ सकते हैं। यदि श्रीमान एस.पी. साहब या श्रीमान ब्रेवो साहब का ऐसा आदेश हो कि पुलिस कन्ट्रोल रूम प्रभारी व जाप्ता के आने के लिए प्रतिबन्ध हो। अगर ऐसा कोई आदेश हो तो हम नहीं आयेंगे। ऐसा कह कर वह वापस अपनी ड्यूटी हेतु पी.सी.आर. पर आने लगा तो उसके हेलमेट फैंक कर मारी व उसे आड़े फिर कर रोक कर कहा कि मादरचोद मिन्टे तू कहां जा रहा है, तुझे अब मैं बताता हूं। ऐसा कह कर अचानक जोश–आक्रोश में आकर जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते हुए लात–घूसों से उसके साथ मारपीट करने लग गया। उसका बीच–बचाव पुरुषोत्तम हैड कानि. 538, विरेन्द्र कुमार हैड कानि. 458 व महिला थानाधिकारी श्रीमति यशोराज मीणा पु.नि. तथा परसराम हैड कानि. 140, विकास कानि. 103, देशराज कानि. 241 व अन्य उपस्थित जाप्ता ने बीच–बचाव किया व घटना देखी। वरना उसके साथ और भी ज्यादा मारपीट करता। मारपीट से उसके बायें आंख की भौंह के ऊपर सूजननुमा व बायां गाल पर सूजन नीलगू व बायें आंख के बायें तरफ व गाल पर तथा सीने पर बायीं तरफ नीलगू चोटें आयी हैं। इस प्रकार पी.सी.आर. पर डी.ओ. ड्यूटी के दौरान राजकार्य करते वक्त राजकार्य में बाधा उत्न्न कर उसे इशारा देकर बाहर बुला कर ले जाकर बिना बात ही जोश–आक्रोश में होकर और जातिसूचक शब्दों से अपमानित कर लातो–घूंसों से मारपीट की है, जिससे उसके सीने में अभी भी जोर से दर्द हो रहा है,..........इत्यादि।

2– उक्त तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना कोतवाली बारां द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **645/2018** अपराध अंतर्गत धारा **332, 353 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)(s), 3(2)(va) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** में प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया।

3– बाद आवश्यक अनुसंधान दिनांक 28.05.2019 को अभियुक्त वजीर सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा **341, 323, 504 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(2)(va) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** में इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।

4– बहस चार्ज सुनी जाकर अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध अंतर्गत धारा **341, 323, 504 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(2)(va) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** के आरोप विरचित करने

के आधार होने के कारण पृथक से उक्त धाराओं में आरोप विरचित कर अभियुक्त को सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त द्वारा आरोप सुन व समझकर अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

5– यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि दौराने विचारण प्रकरण में आहत राधेश्याम एवं अभियुक्त वजीर सिंह ने स्वैच्छया राजीनामा हो जाना जाहिर कर एवं न्यायालय की अनुमति प्राप्त कर धारा 341, 323, 504 भारतीय दण्ड संहिता में राजीनामा प्रस्तुत किया। जिस पर राजीनामा नियमानुसार बाद जांच तस्दीक किया जाकर मुल्जिम को दिनांक 09.01.2026 को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 504 भा0 दं0 सं0 में बरूए राजीनामा दोषमुक्त घोषित किया गया है। तत्पश्चात् अभियुक्त के विरूद्ध प्रकरण में केवल आरोपित अपराध अंतर्गत धारा **3(2)(va) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** का ही विचारण शेष रहा, जिसके संबंध में यह निर्णय पारित किया जा रहा है। अभियोजन साक्ष्य पूर्ण होने पर अभियुक्त को अंतर्गत धारा 313 दं0 प्र 0 सं0 के तहत परीक्षित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताया और झूठा फंसाना कथन किया और साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना व्यक्त किया, जिस पर साक्ष्य प्रतिरक्षा बंद की गयी।

6– बहस अंतिम उभय पक्षकारान सुनी गई व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

7– प्रकरण के निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष मुख्य रूप से विचारणीय बिन्दु यह रहे हैं कि:–

(i) आया कि अभियुक्त द्वारा परिवादी राधेश्याम को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना जानते हुए अधिनियम की अनुसूची में आने वाला धारा 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध कारित किया ?

(ii) यदि हां तो उसका उचित दंडादेश क्या होगा?

8– उक्त विचारणीय बिन्दुओं के संदर्भ में दौराने बहस विद्वान विशिष्ठ लोक अभियोजक का कथन रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्व आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किए जाने का निवेदन किया।

9– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का बहस में तर्क रहा है कि प्रकरण में स्वयं परिवादी की रिपोर्ट और बयानों में परस्पर अंतर है। किसी स्वतंत्र गवाह ने घटना की पुष्टि नहीं की है। परिवादी ने अपने बयानों में अभियुक्त द्वारा उसे जातिसूचक गाली–गलौंच करना बताया है, किंतु इस तथ्य की पुष्टि किसी स्वतंत्र गवाह ने अपने बयानों में नहीं की है, ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता है अभियुक्त द्वारा परिवादी की जाति को जानते हुए

या जाति के आधार पर ही अपराध कारित किया हो। प्रकरण में मूल अपराध में राजीनामा हो चुका है। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित होता हो। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

10– उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

11– प्रकरण में अभियोजन की ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत हुई है, उसमें पी.ड. 01 राधेश्याम जो स्वयं परिवादी है, ने अपने बयानों में कथन किया है कि दिनांक 19.08.2018 को उसकी पुलिस कन्ट्रोल रूम पर डी.ओ. ड्यूटी थी। सुरेश जी हैड साहब, वजीर और वह स्वयं अभय कमाण्ड सेन्टर के आगे खड़े हुए थे। वजीर, सुरेश जी हैड साहब से बोल रहा था कि वह यहां अभय कमाण्ड सेन्टर का नोडल अधिकारी है। उसकी बिना अनुमति के अभय कमाण्ड सेन्टर में कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। उसके बाद दिनांक 20.08.2018 को उसकी डी.ओ. ड्यूटी थी। समय दिन के एक–डेढ़ बजे करीब घनश्याम जी के मोबाईल पर फोन आया। घनश्याम जी हैड कानिस्टेबल से उसके वजीर कानिस्टेबल ने नम्बर लिये। करीब 02.00 बजे के आसपास वजीर पुलिस कन्ट्रोल रूम पर आया और उसको बुला कर अभय कमाण्ड सेन्टर की तरफ ले गया। वहां जाते ही वजीर कानिस्टेबल ने उसके साथ गाली–गलौंच किया और कहा कि मादरचोद मिन्टे तू कौन होता है अभय कमाण्ड सेन्टर पर मना करने वाला। वह यहां का नोडल अधिकारी है। वहां से रवाना होकर वह पुलिस कन्ट्रोल रूम की तरफ जाने लगा तो वजीर कानिस्टेबल ने हेलमेट की फैंक कर मारी जो उसके साईड से निकल गया। उसके बाद में वजीर उसके आड़े फिर गया और आड़े फिर कर उसके बायें आंख की भौंहों पर पन्च की मारी और बायें गाल पर मारी और सीने पर मारी। उस समय पहरा सन्तरी विकास, महिला थाना, पुरुषोत्तम मालव हैड कानिस्टेबल, देशराज कानिस्टेबल और परशुराम हैड कानिस्टेबल, नैक मोहम्मद ए.एस.आई., यशोराज मीणा महिला थाना अधिकारी व घनश्याम जी हैड साहब ने उसका बीच–बचाव किया।

12– जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि अभय कमाण्ड सेन्टर में आने से मना वजीर ने सुरेश हैड कानिस्टेबल से की थी। यह सही है कि उससे अभय कमाण्ड सेन्टर में आने के लिए मना नहीं किया। अजखुद कहा कि वह वहीं खड़ा था। जब वजीर उसे पी.सी.आर. से बुलाने आया था तब घनश्याम हैड कानिस्टेबल व सीमा मालव वहां मौजूद थे। **यह सही है कि वजीर ने उसके खिलाफ मारपीट की पुलिस थाना कोतवाली बारां में रिपोर्ट दर्ज करवायी थी। यह उसे पता नहीं है कि सी.जे.एम. न्यायालय बारां से उस एफ.आर. पर उसके खिलाफ प्रसंज्ञान ले लिया गया है।** मौके पर लड़ाई–झगड़ा 5–10 मिनट चला था। अगर घटनास्थल पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगे हुए हों तो उसे पता नहीं है।

13– पी.ड. 02 सीमा मालव ने अपने बयानों में कथन किया है कि वह दिनांक 20.08.2018 को पुलिस कन्ट्रोल रूम बारां में वायरलैस ऑपरेटर की ड्यूटी पर कार्यरत थी।

उस दिन समय दिन के 02.00 बजे करीब वजीर सिंह व राधेश्याम जी के बीच अभय कमाण्ड सेन्टर की तरफ से कुछ लड़ाई–झगड़े जैसी आवाज आयी थी। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि **जब वह मौके पर पहुंची तब वहां कोई लड़ाई–झगड़ा नहीं हो रहा था।**

14– पी.ड. 03 दिनेश कुमार प्रकरण में अन्वेषण अधिकारी है, जिसने दौराने अनुसंधान फरियादी के बताये अनुसार घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी.03 बनाना, गवाहान के बयान लेखबद्ध करना, आहत की चोटों का मेडीकल मुआयना व एक्सरे करवा कर शामिल पत्रावली करना बताया है। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि **यह सही है कि नक्शा मौका बनाते समय मौके पर घटनास्थल पर कोई भौतिक साक्ष्य प्राप्त नहीं हुई**। यह सही है कि घटनास्थल एक रोड़ है, जिस पर व्यक्तियों की आवाजाही बनी रहती है।

15– पी.ड. 04 विरेन्द्र सिंह ने अपने बयानों में कथन किया है कि दिनांक 20.08.2018 को महिला थाना बारां में हैड कानिस्टेबल के पद पर तैनात था। समय दिन के करीब 02 बजे की बात है। बाहर से कन्ट्रोल रूम की तरफ से कुछ लड़ाई–झगड़ा व शोर–शराबा सुनाई दिया, फिर वह और एस.एच.ओ. साहब भी बाहर आये। हमारे आने से पहले ही दोनों पक्षों का उपस्थित पुलिस वालों ने बीच–बचाव करवा दिया था। **हमारे सामने वजीर सिंह ने राधेश्याम को कोई जातिसूचक शब्दों से गालियां नहीं निकाली, न ही कोई मारपीट की।**

16– पी.ड. 05 सुरेश कुमार ने अपने बयानों में कथन किया है कि दिनांक 20.08.2018 को वजीर सिंह और राधेश्याम के बीच में झगड़ा होने के बारे में सुना था, **वह मौके पर उस्थित नहीं था, उसके सामने कोई घटना नहीं हुई थी।**

17– पी.ड. 06 घनश्याम ने अपने बयानों में कथन किया है कि वजीर का टेलीफोन राधेश्याम जी के मोबाईल नंबर पर आया था तो राधेश्याम जी ने बताया कि वजीर उसे किसी काम से अभय कमाण्ड सेन्टर की तरफ बुला रहा है। उसके कुछ देर बाद ही अभय कमाण्ड सेन्टर की तरफ आपसी लड़ाई–झगड़े और शोरगुल की आवाज आयी। वह आवाज सुन कर महिला थाने की तरफ गया, वहां पर वजीर कानिस्टेबल राधेश्याम जी के साथ मारपीट कर रहा था तथा वहां पर मौजूद रिजर्व पुलिस जाब्ता पुरुषोत्तम मालव हैड कानिस्टेबल, परसराम हैड कानिस्टेबल, वीरेन्द्र सिंह कानिस्टेबल व अन्य मौजूदा जाब्ता इनका बीच–बचाव करा रहा था। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि **यह कहना गलत है कि सभी पुलिसकर्मी वहां खड़े हुए थे, बल्कि बीच–बचाव करवा रहे थे।**

18– साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन के पश्चात हमारा पृथक–पृथक विचारणीय बिन्दुओं के संबंध में विवेचन निम्न प्रकार हैः–

<u>विचारणीय बिन्दु संख्या (i)–</u>

19– साक्ष्य के उपरोक्त विश्लेषण के पश्चात हमें एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना है। जहां तक अभियुक्त के विरुद्ध धारा **3(2)(va) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार**

निवारण) अधिनियम 1989 का आरोप है। इस संबंध में अभियोजन पर यह सिद्ध करने का दायित्व है कि अभियुक्त द्वारा अधिनियम की अनुसूची में उल्लेखित धारा 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध यह जानते हुए कारित किया कि परिवादी अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य है। पी.ड. 01 परिवादी राधेश्याम ने अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी.01 एवं बयानों में परिवादी के अभय कमाण्ड सेन्टर में आने की बात को लेकर कहासुनी एवं विवाद होना बताया है और उसी अनुक्रम में घटना के समय लड़ाई–झगड़ा होना बताया है तो यह प्रकट नहीं हो रहा है कि अभियुक्त द्वारा परिवादी को अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य होना जानते हुए इस आधार पर ही अपराध कारित किया गया हो। पी.ड. 01 राधेश्याम ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि उसके खिलाफ भी अभियुक्त ने थाना कोतवाली बारां में एफ.आई.आर. दर्ज करवायी थी, जिससे यह प्रकट हो रहा है कि दोनों ही पक्षों द्वारा एक–दूसरे के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कराये गये हैं। परिवादी पी.ड. 01 राधेश्याम ने अपने बयानों में अभियुक्त द्वारा जातिसूचक शब्दों से सम्बोधित करना बताया है, लेकिन अन्य किसी गवाह पी.ड. 02 सीमा, पी.ड. 04 विरेन्द्र सिंह, पी.ड. 05 सुरेश व पी.ड. 06 घनश्याम के कथनों से इस तथ्य की पुष्टि नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में जहां अभय कमाण्ड सेन्टर में प्रवेश की बात को लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा होना और एक–दूसरे के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करवाया जाना प्रकट हो रहा है तो यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त द्वारा परिवादी के साथ जाति के आधार पर या उसे अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य होना जानते हुए मारपीट की गयी हो।

20– इसके अतिरिक्त हस्तगत प्रकरण में धारा 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से अभियुक्त को राजीनामा के आधार पर दोषमुक्त किया जा चुका है। धारा **3(2)(va) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** का अपराध एक सापेक्षिक अपराध है। अभियुक्त को अधिनियम की अनुसूची में उल्लेखित धारा 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से दोषमुक्त किये जाने के कारण अभियुक्त के विरुद्ध अधिनियम की अनुसूची में उल्लेखित मूल अपराध अंतर्गत धारा 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता कारित किया जाना प्रमाणित नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त को धारा **3(2)(va) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** के आरोप के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। **अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्त वजीर सिंह के विरुद्ध धारा 3(2)(va) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 का आरोप संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है।**

21– अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के अनुसार अभियोजन पक्ष विचारणीय बिन्दु (i) को अपने पक्ष में सिद्ध करनें में असफल रहा है। अतः उक्त विवेचन के अनुसार अभियुक्त वजीर सिंह को आरोपित अपराध अंतर्गत **धारा 3(2)(va) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** के आरोपों के संदर्भ में युक्तियुक्त संदेह से

परे अभियोज्य साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ दिये जाने के आधार पर दोषमुक्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–आदेश–

22– अतः अभियुक्त **वजीर सिंह पुत्र धर्मसिंह, उम्र–32 साल (वर्तमान उम्र–39 साल), निवासी–गढ़ी सिसाना खरखोदा, जिला–सोनीपत, हरियाणा हाल कानि. 803 पुलिस लाईन झालावाड़, जिला–झालावाड़ (राज.)** को आरोपित अपराध अंतर्गत **धारा 3(2)(va) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** के आरोपों के संदर्भ में युक्तियुक्त संदेह से परे अभियोज्य साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ दिये जाने के आधार पर दोषमुक्त किया जाता है।

23– प्रकरण में परिवादी/आहतगण व अभियुक्त के मध्य दिनांक 09.01.2026 को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 504 भारतीय दण्ड संहिता में राजीनामा हो जाने से अभियुक्त को बरूए राजीनामा पूर्व में दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है। अभियुक्त के उपस्थिति बाबत पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके अविलम्ब निरस्त करने के आदेश दिये जाते है।

24– हस्तगत प्रकरण में चूंकि अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध साबित नहीं हुआ है। अतः हस्तगत प्रकरण में परिवादी को धारा 357ए दं0प्र0सं0 के तहत किसी प्रकार की पीड़ित प्रतिकर राशि दिलवाये जाने की अनुशंसा नहीं की जाती है।

25– इस प्रकरण में जब्तशुदा माल यदि कोई हो तो बाद गुजरने मियाद अपील विधि अनुसार नष्ट किया जावें और अपील होने की सूरत में अपीलीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार माल का निस्तारण किया जाए।

26– अभियुक्त की ओर से धारा 437ए सीआरपीसी के अंतर्गत प्रस्तुत जमानत मुचलकें निर्णय की दिनांक से छः माह तक प्रवृत्त बने रहेंगे।

(लोकेश कुमार शर्मा)
विशिष्ठ न्यायाधीश
अ.जा./ज.जा. (अ.नि.) प्रकरण
बारां, जिला–बारां (राज0)

27– निर्णय आज दिनांक 12.03.2026 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा लिखाया जाकर उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(लोकेश कुमार शर्मा)
विशिष्ठ न्यायाधीश
अ.जा./ज.जा. (अ.नि.) प्रकरण
बारां, जिला–बारां (राज0)

SUKHVEER LODHI
Steno Gr-I "Authenticate Document"
Digitally signed by SUKHVEER LODHI